

8
अतारांकित

(क) जी हॉ।

(ख) शादी अनुदान योजनान्तर्गत कुल 400 आवेदकों को प्रथम आगत, प्रथम पावत के सिद्धान्त पर सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, तथा 231 आवेदन पत्र लम्बित रहे।

(ग) जी नहीं।

(घ) शासनादेश संख्या-115/2016/ 1873/ 26-3-2016, दिनांक-10 जून 2016 के प्रस्तर-4 (xvi) के अनुसार “वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी” की व्यवस्था निर्धारित है, जिसके कारण गत वर्ष के लम्बित आवेदकों को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान नहीं दिया जा सकता है।

असीम अरूण

मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग।